आदेश पत्रक

...श पत्रक – ता० प्रकाश महतो बनाम से अनुपवर्की व रघुनाथ महतो

...ल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 07 /2021-22

... का प्रकार विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई कार... बारे में ... तारीख
1	2	3
...05-2021	आवेदक प्रकाश महतो S/O श्री शिबु महतो ... ग्राम-झिलगा पो.-मांडरलौटा थाना-बालूमाथ द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा-झिलगा के खाता नं० 154 प्लॉट नं० 294, 295, 296 रकबा 1.9 डी० भूमि में विवाद है। जिसमें अनुपवर्की पिता जगदीशवर्की व रघुनाथ महतो पिता स्व० लालमन महतो मौजा-झिलगा के द्वारा जबरदस्ती मकान निर्माण किया जा रहा है। रोक लगाने हेतु आवेदन दिया गया है। अतः आवेदक ने वाद की कार्रवाई आरम्भ की गयी है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष राजस्व संबंधी कागजात के साथ अगली तिथि को उपस्थित रहेंगे। वाद की अगली तिथि 24.5.21. को निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी बालूमाथ	A41 SA... 13.7.2...

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक — ता० ________________ से ________________

अंचल — बालूमाथ जिला— लातेहार वाद संख्या— /2021

वाद का प्रकार ________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
28.05.2021	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी हाजरी दी। भूमि विवाद के मूल्यांकन हेतु कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण) लातेहार से बालूमाथ भाया मुरपा होते हुए मैक्लुस्कीगंज सड़क निर्माण में मौजा झिलवा के CS खाता 01 प्लॉट 120 में कितना रकबा सड़क में गया है। तथा डिक्री कितना मिला और किससे प्राप्त किया इसकी जानकारी हेतु पत्र निर्गत करें 28/05/2021 अंचल अधिकारी बालूमाथ
01.06.2021	अभिलेख उपस्थापित कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण) लातेहार से उपरोक्त विषय से संबंधित पत्र तैयार कर लिया गया है। भेजने हेतु आदेशार्थ पत्रांक 289 दिनांक 21.6.2021 से प्रेषित 01/06/2021 अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

देश पत्रक – ता० ______________________ से ____________ ______ ता

ंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– /2021

वाद का प्रकार ______________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8/7/2021	अभिलेख उपस्थापित. कार्यपालक अभियंता लातेहार पथ निर्माण, विभाग, पथ प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 516 दिनांक 21.06.2021 के अवलोकन से किसानों सहित मुआवजा अंतर्गत उसका विवरण दर्ज नहीं है पुनः मौजा- जिलंगा के CS खाता 01 प्लॉट 120 एवं CS खाता. 33 प्लॉट 144 में कितना रकबा अधिग्रहण किया गया है तथा अधिग्रहित रकबा का मुआवजा किसने और कितना प्राप्त किया है। इस आशय का पत्र कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, लातेहार पत्रांक 544 दिनांक 05/7/21 को प्रेषित करें। 08/07/2021 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – सा० ________________________ से ________________________

अंचल – बालूमाथ जिला – लातेहार वाद संख्या– 07 /2021-22

वाद का प्रकार ________________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
22/7/2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। अधोहस्ताक्षरी के सरकारी कार्यों में अति व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि दिनांक 26/8/21 निर्धारित की जाती है। ह०/— अंचल अधिकारी बालूमाथ
26-08-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। दोनों पक्षों की बातों को सुना। उभय पक्ष को एक सप्ताह राजस्व कागजात देने हेतु दिया जाता है। राजस्व कर्मी एवं अंचल निरीक्षक को स्थल का भौतिक सत्यापन करते हुए प्रतिवेदन हेतु पत्र लिखें। वाद की अगली तिथि 9.9.21 को निर्धारित की जाती है. ह०/— 26.8.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

क – ता० ______________ से ______________ तक

बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 07 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9-9-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 20.09.2021 को निर्धारित किया जाता है। 9.9.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
20-9-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। दोनों पक्ष अपनी बातों को रखें। उभय पक्षों की बातों को सुना। राजस्व कर्मी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवेदन दिनांक 30.9.21 को उपलब्ध करें। 20.9.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
30-9-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। उभय पक्ष की बातों को सुना। जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवेदन 21.10.21 को रखें। 30.9.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ

आदेश पत्रक

रा पत्रक — तां० ———————— से ————————

न — बालूमाथ जिला— लातेहार   वाद संख्या— 07 /2021–22

: का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
21-10-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। अंचलाधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 13.11.2021 को निर्धारित की जाती है। 21.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ
13.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अंचलाधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी वाद की अगली तिथि 8.12.2021 को निर्धारित की जाती है। 13.11.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...क – ता० ______________ से ______________ तक

- बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 07 /2021–22

...का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8.12.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 20.12.21 को निर्धारित की जाती है। [signature] 8.12.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
20.12.21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अधो० के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वाद में अग्रेतर कारवाई संभव नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 29/12/21. को रखें। [signature] 20.12.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक ———————— से ————————

अंचल – बालूमाथ जिला – लातेहार   वाद संख्या- 02 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
28/12/2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। पदा० के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई संभव नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 15.1.22 को रखें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ
15-01-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन पदाधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 08.02.2022 को निर्धारित की जाती है। (हस्ताक्षर) 15.1.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

ह – ता० ———————— से ———————— – तक

बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 07 /2021–22

वाद का प्रकार — विविधवाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख 17.2.22 को उपस्थापित करें। 15/2/22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
17.2.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षकारों के द्वारा अपनी भूमि के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवेदन दिनांक 15.3.22 को [illegible] 15.3.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
15.3.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 05.04.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ________________ से ________________

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 07 /2021–22

वाद का प्रकार ________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
5.4.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख 18.04.22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ
18.4.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उभय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर दावेदारी संबंध की जमीनी सभी साक्ष्य के बारे में बताया गया। राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 26.5.22 को आदेश हेतु उपस्थापित। 18.4.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ
26.5.22	~~अभिलेख उपस्थापित~~।

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

— से — — तक

क्रमांक – ता० — 1

– बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 07 /2021–22

का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6.05.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बातों तर्क एवं सभी कागज का अवलोकन गहनतापूर्वक किया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो अभिलेख को आदेश हेतु दिनांक 7.6.22 को रखें। (ह०) अंचल अधिकारी बालूमाथ	
7.6.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। पदा० के निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई संभव नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 20.6.22 को रखें। (ह०) अंचल अधिकारी बालूमाथ	
20.6.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 29.06.2022 को उपस्थापित करें। (ह०)	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

देश पत्रक – ता० ———————— से ————————

वल – बालूमाथ जिला – लातेहार वाद संख्या– 07 /2021–22

ाद का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प... गई कारव... बारे में टि... तारीख स...
1	2	3
29.6.22	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष की माँ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि प्रकाश महतो दुर्घटना में घायल होकर इलाजरत है। समय बढ़ाने का आवेदन दिया गया। उनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए अगली की तिथि 8.7.22 को निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। ह० अंचल अधिकारी बालूमाथ	
8.7.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षकार उपस्थित। प्रथम पक्षकार के द्वारा C.S खाता-1, प्लाट-120, रकबा-21 डी० (R.S खाता-154, प्लाट-294,295, 296 रकबा 10 डी०) में अपना दावा सिद्ध करने के लिए साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि मेरे पूर्वज गुजू महतो का हिस्सा का जमीन है जो मुझे मिलना चाहिए परन्तु द्वितीय पक्षकार जबरन उस भूमि पर आवास निर्माण कर रहे हैं। साक्ष्य के रूप में इनके द्वारा online लगान रसीद उपलब्ध कराया गया जो लालमन महतो व गुजू महतो के नाम से 10 डी० का खाता-154, प्लाट-294,295,296 का पालागमा	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

पत्रक – ता० ______________ से ______________ – तक

अंचल– बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 07 /2021-22

वाद का प्रकार ______________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8.7.22 लगातार	द्वितीय पक्षकार का कहना है कि चूंकि 11 डी० भूमि सड़क निर्माण में गुजरू व लालमन महतो की गई है इसलिए दोनों को मुआवजा मिलना चाहिए था परन्तु उक्त मामले के आदेश से मुआवजा केवल एक पक्ष लालमन महतो के पुत्र कृष्णा महतो को मिला। गुजरू महतो के पुत्र रामलाल ने अपील कर मुआवजे की राशि प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय पक्षकार का यह भी कहना है कि चूंकि C.S खाता में भूमि गुजरू महतो की नहीं थी इसलिए R.S खाता में भी नहीं होना चाहिए था परन्तु R.S खाता-154, प्लाट-234, 235, 236, रकबा 17 डी० आने के कारण विवाद की स्थिति हो गयी। 7 डी० भूमि का Online रसीद कटा दिया गया और 10 डी० भूमि अभी भी लालमन महतो व गुजरू महतो का विवाद हो रहा है चूंकि यह भूमि केवल लालमन महतो के वंशज का होना चाहिए था। द्वितीय पक्षकार के सभी बातों एवं तर्क को गंभीरतापूर्वक सुना। उभय पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजों, भू राजस्व दस्तावेज, जांच प्रतिवेदन एवं दखल-कब्जा देखने से	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ________________ से ________________

अंचल – बालूमाथ । जिला – लातेहार   वाद संख्या– 07 /2021-22

वाद का प्रकार ________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
लगातार 1.7.22	प्रथम पक्षकार का कहना था की प्रश्नगत भूमि पर दखल दिलाया जाए तथा द्वितीय पक्षकार की अवैध निर्माण को रोका जाए। इस प्रकार प्रथम पक्षकार के सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों तथा तर्क को गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। द्वितीय पक्षकार के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के रूप में गुजु महतो के द्वारा बिक्री किए गए भूमि का केवाला, online लगान रसीद इत्यादि उपलब्ध कराया गया। द्वितीय पक्षकार का तर्क है की करम महतो के नाम से 29 डी० भूमि था जो उनके दो पुत्रों लालमन महतो एवं गुजु महतो के बीच 14.5 डी० – 14.5 डी० हिस्सा में प्राप्त हुआ। इसमें से 11 डी० भूमि PWD सड़क निर्माण में चला गया, जो दोनों व्यक्ति के हिस्से से चला गया। शेष 18 डी० भूमि में लालमन महतो का आधा अर्थात 9 डी० तथा गुजु महतो का आधा अर्थात 9 डी० होता है। गुजु महतो अपने हिस्से 9 डी० भूमि अपने भाई लालमन महतो का पुत्र जगदीश, देवलाल, कमलाकान्त को केवाला कर दिया। ये केवाला 1981 में किया गया तब से भूमि पर दखल है।

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

क – ता० ______________________ से ______________________ – तक

बालूमाथ जिला– लातेहार । वाद संख्या– 07 /2021–22

का प्रकार ______________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
[illegible]-7-2016 [illegible]	स्पष्ट होता है कि यह विवाद Online सर्वे (R.S सर्वे) में त्रुटिपूर्ण इन्ट्री से संबंधित है। करम महतो के नाम 23 डी० भूमि में आधा हिस्सा लालमन महतो का एवं आधा हिस्सा गुज्जू महतो का बनता है। चूंकि यह भूमि C.S खाता 1 प्लाट - 120, रकबा 23 डी० से संबंधित भूमि से 11 डी० भूमि संयुक्त रूप से PWD सड़क निर्माण में चली गयी। 11 डी० भूमि का मुआवजे की राशि करम महतो के दोनो पुत्र में बंटना चाहिए था परन्तु ऐसा न होकर प्रथम पक्षकार के कृष्णा महतो को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश 4.5.15 द्वारा WP(C) No 6230/2015 के आलोक में भुगतान की गयी। चूंकि यह मामला न्यायालय का है इसमें ~~द्वितीय~~ पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर यह उच्च न्यायालय में रिव्यू आवेदन द्वारा का न्याय प्राप्त कर सकते हैं। मुआवजे की राशि का बंटवारा करना या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करना कहीं उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में ~~द्वितीय~~ पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ————

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 07 /2021–22

वाद का प्रकार ————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8.7.22 लगातार	शेष 18 डी० भूमि में 9 डी० लालमन महतो का एवं 5 डी० गुज्जू महतो का कब्जा है। चूँकि गुज्जू महतो अपनी सम्पूर्ण महतो 9 डी० भूमि को केवाला सं० 838 दिनांक 4.5.1981 को कमलनाथ, जगदीश, विश्वनाथ पिता- लालमन को लिख दिए। इस प्रकार स्वाभाविक यह निष्कर्ष निकलता है कि गुज्जू महतो अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि रैयत का चुके थे इसलिए उनके वंशज का दावा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। चूँकि प्रश्नगत भूमि का R.S खतियान में खाता- 154, प्लाट- 254, 255, 256, कुल रकबा- 19 डी० खाता जमा जो लालमन महतो व गुज्जू महतो के नाम से खतियान बन गया। पुनः में केवाला के आधार पर जगदीश, कमलनाथ एवं विश्वनाथ पिता- लालमन महतो के द्वारा online रसीद कटा लिया गया। शेष 10 डी० भूमि पर गुज्जू महतो के वंशज प्रकाश महतो भी दावा कर रहे हैं और स्वयं आदिवासी होते हैं जो गलत है। चूँकि प्रथम पक्षकार प्रकाश महतो के पूर्वज गुज्जू महतो	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

– ता० ________________ से ________________ तक

ूमाथ जिला– लातेहार　　वाद संख्या– 　　/2022–23

कार ________________

की और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
-22 गार	अपनी रैयती भूमि अपने जीवनकाल में ही रहकर का भुकं दो चूंकि पुरखुर्द सर्वे के कारण रजिस्टर (online) में लालमन महतो के नाम गुरुवा महतो का नाम आने से गुरुवा महतो के वंशज फुलाजी महतो के द्वारा भूमि पर दावा किया जाने लगा। राज्य सरकार भी मानती है कि भू-सर्वे में व्यापक त्रुटि हुई है इसलिए सरकार के द्वारा पुनः सर्वे हेतु पत्र निर्गत किया गया। मात्र Online रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम entry होने से उसको भूमि का स्वामित्व या भूमि पर अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायादेश Bishuni Ram Vs Nayak Ram 2015, Bhuthur Rai Vs Mahadeo Rai 2012, Ramjhari Ram Vs Gokhul Singh 1983 तथा राजस्व विभाग के पत्रांक 483 दिनांक 31-10-2015 तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश 2020 JBCJ का अवलोकन किया जा सकता है जिसमें पूर्व राजस्व दस्तावेजों को तरजीह दी गयी है तथा Online मात्र राजस्व प्राप्ति हेतु, पंजी के लिए या टैक्स के लिए सुविधा आदेशित किया गया है।	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ———————— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या- 07 /~~2022–23~~ 21-22

वाद का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8.7.22 लगातार	सभी साक्ष्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का अवलोकन करने तथा सरकार द्वारा दिए गए पुन: सर्वे संबंधित आदेश एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि R-S खाता 154, प्लाट 294, 295, 296 रकबा 10 डी० पर द्वितीय पक्षकार का दावा सच्चा है। प्रथम पक्षकार अथवा पूर्वज के द्वारा PWD सड़क निर्माण में गयी भूमि के विरुद्ध मुआवजे की राशि के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। शायद कभी आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करें। मैं इस निर्णय से असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। सक्षम न्यायालय के आदेश के फलाफल यह आदेश प्रभावित होगा। लेखापित एवं संशोधित 8.7.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ 8.7.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Digitally signed by Mohammad AFTAB ALAM
Date: 2023.02.13 13:15:24 +05:30
Location: 192.168.188.91

Scanned with CamScanner